तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
निर्णय	सरकार V/s जबरूद्दीन पुत्र मेदेखां मु.स. 03/17 दिनांक 7/3/17 धारा 91 LR Act 1956	

7/3/17. पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान अतिक्रमी उपस्थित संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ओलन्दा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजकीय भूमि ग्राम खोहरा आ.सं.नं. 103 कुल रकबा 1.64 है. किस्म जमीन बजंड कदीम पर श्री जबरूद्दीन पुत्र मेदेखां कौम मेव सा. खोहरा तह. कामां द्वारा 0.20 है. रकबा पर जिस सरसो बोकर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण दर्ज रजि. किया जाकर गैर सायलान के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में गैर सायलान अतिक्रमी उप. अदालत आये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अतिक्रमित रकबा बजंड कदीम जो कि राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिससे अतिक्रमी को बेदखल किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी श्री जबरूद्दीन पुत्र मेदेखां कौम मेव सा. खोहरा आ.सं.नं. 103 रकबा 0.20 है. वाके ग्राम खोहरा में फसल सरसो बोकर किये अतिक्रमण से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.80 की पचास गुना राशि = 90/- रुपये (नब्बे) से दण्डित किया जाता है। जिसकी T.R.A को मांग कायम कराई जावे व पटवारी हल्का को पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु तथा खडी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/3/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कामाँ (भरतपुर)

रजि. ... वर्ष 2016-17 के पेज नं. 99 क्र. 90 ... कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार